SI. No.	Name of the Scheme	State	Installed Capacity (MW)
7.	Tecsta St. II	Sikkim	373
8.	Teesta St. IV	Sikkim	495
9.	Tipaimukh	Manipur	750
10.	Dihang	Arunachal Pradesh	13400
11.	Subansiri	Arunachal Pradesh	7300
12.	Demwe	Arunachal Pradesh	520
13.	Lohit	Arunachal Pradesh	3000
14.	Kimi	Arunachal Pradesh	1100
15.	Debang Dam	Arunachal Pradesh	1000
16.	Bhopalapatnam	M.P.	1000
17.	Pimpalgaon	Maharashtra	600
18.	Mananthawadi	Kerala	240
19.	Hoganekkal	Tamil Nadu	850

विद्युत परियोजनाओं की निर्माण लागत

1816. **श्री कपिल सिब्बल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1998 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में "बाबज मेस्ड अप रिफोर्मस सेज जी.वी.आर." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिजली परियोजनाओं के निर्माण की लागत 2.2 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट तक नीलामी के रूप में आंकी जाती हैं जबकि भारत में यह लागत 4 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट या इससे अधिक आंकी जाती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और देश में परियोजना निर्माण लागत अधिक होने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विद्युत संयंत्र की लागत उसकी किस्म, क्षमता, स्थल संबंधी स्थितियों, ईधन की किस्म संयंत्र का विस्तृत कार्यक्षेत्र और वित्त पोषण के स्वरूप पर निर्भर करता हैं। जबकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में स्वीकृत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की समग्र लागत 4.2 करोड़/मे.वा. हैं, तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नैफ्था आधारित संयुक्त साइकिल सनयंत्र की लागत मे 3.0 करोड़ रू./मे.वा. से 3.5 करोड़ रू. तक की भिन्नता हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा रही लागत में शुल्क और कर तथा वित्त पोषण की उच्च लागत भी शमिल हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय परिवेशी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उसी संयंत्र से विशेषकर गैस टर्बाइन संयंत्रों के मामले में उत्पादन कम हो जाता हैं। इससे भारत में विद्युत संयंत्रों की प्रति मे.वा. लागत में और अधिक वृद्वि हो जाती हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा रही लागत अधिष्ठापित किए गए के अनुसार संपूरित लागत हैं। जिसमें विद्युत संयंत्रों को निर्माण हेतु सभी सिविल कार्य और सभी अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे बाह्य जल प्रणाली बाह्य ईधन प्रहस्तन प्रणाली, ईधन भंडारण इत्यादि शामिल हैं।

उपर्युक्त सभी घटकों की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा रही लागत की तुलना विद्युत संयंत्रों के लिए दिए गए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से की जा सकती हैं जो कि संयुक्त साइकिल संयंत्रों के मामले में 2.0-2.3/करोड़ रू/मे.वा. हैं और कोयला आधारित संयंत्रों के लिए 2.6—3.5 करोड़ रू./मे.वा. है।

Pendings Power Projects of North Eatern Region

1817. SHRIMATI BASANTI- SARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of the proposals for setting up of power projects in the coun-